संख्या- 1/ 2009/33-3-2014-100(12)/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुखसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था को पूर्ण करने हेतु अनुदान संख्या-14 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 10000.00 लाख का उपयोग प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के अवशेष कार्यो पर व्यय किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 917/33-3-2014-100(12)/2014, दिनांक 11 जून, 2014 के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या- 5(1007)/2011-5/45/2014, दिनांक 11 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु अनुदान संख्या-14 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 10000.00 लाख का व्यय किया जाना अपरिहार्य होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2013-14 के अवशेष कार्यो पर व्यय किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है।

2- निदेशक, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के अवशेष कार्यो पर ही व्यय किया जायेगा, किसी प्रकार का विचलन वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होगा।

3- यह आदेश प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in